

# दिल्ली परिवहन निगम

(रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार)  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002  
हिन्दी अनुभाग (मुख्यालय)

संख्या-विविध हिं०निबं०प्रति०/2017/32

दिनांक : 11-08-2017

विषय:- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट द्वारा  
आयोजित वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता-2017

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री राम अवतार मीणा, उप निदेशक (ए०आ०), रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स लिपार्टमेंट, इवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली, ई-मेल:arupdate@nic.in के परिपत्र संख्या०फ.19/01/2015/एआर/6043-6144 दिनांक 01-08-2017 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता-2017 का आयोजन किया जा रहा है।

अतः निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी के लिए परिचारित किया जाता है कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह अपना निबंध (टाइपशुदा) 31 अगस्त, 2017 तक या इससे पहले डाक द्वारा सीधे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को भेज सकते हैं। प्रतियोगिता - विषय, पुरस्कार राशि तथा निबंध के दिशा निर्देश इसके साथ संलग्न हैं। निबंध हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है तथा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के इच्छुक प्रतियोगी निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 (दूरभाष : 23468300) से संपर्क कर सकते हैं।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

*अंकुर गर्ग*  
( अंकुर गर्ग )  
प्रबन्धक (प्रशा०/हिं०)

सभी यूनिट/अनुभाग/विभाग अधिकारी  
सभी नोटिस बोर्ड

**प्रतिलिपि:- (1)** श्री राम अवतार मीणा, उप निदेशक (ए०आ०) रा० रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार को उनके परिपत्र संख्या - ए०फ.19/01/2015/एआर/6043-6144 दिनांक 01-08-2017 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

**प्रतिलिपि:- (2)** अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, दि०प०नि० को उनके एफएमसी डायरी संख्या-डीटीसी/17/18258 दिनांक 03-08-2017 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

**प्रतिलिपि:- (3)** मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) महोदय के डायरी संख्या-डीटीसी/18258 दिनांक 04-08-2017 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

**प्रतिलिपि:- (4)** उप मुख्य महाप्रबन्धक (आई०टी०) को दिपनि की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

मृ० १६०२  
२०१७/२०१८  
०८.०८.२०१८  
ग्र० ४६

संलग्न (५)

MJ  
BPK  
24/08/18

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT  
7<sup>th</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P.ESTATE, NEW DELHI  
Email: arupdate@nic.in

No. F.19/01/2015/AR/6043 - 6144

Dated: 01/08/17

**CIRCULAR**

To

**All HODs/Local/Autonomous Bodies and Corporation,  
Government of NCT of Delhi.**

Sir/Madam,

The Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi is going to conduct Annual Essay Prize Competition-2017. Entries to be submitted by interested individual by post latest by 31<sup>st</sup> August, 2017 to IIPM directly.

You are therefore requested to bring to the notice of all the staff working in your department/office for voluntary participation. The detailed Circular of IIPM is available at AR Department Website (Cir. No. (2017)/1/114 dated 19-07-2017).

Yours faithfully,

  
**(RAM AVTAR MEENA)**  
**DY.DIRECTOR (AR)**

हरमाल: 23468300  
फैक्स: 23702440  
directoripp@gmail.com

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  
इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,  
नई दिल्ली

### वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता-2017

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता-2017 के लिए प्रविचित्रियों आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार राशि निम्नवत् है:

प्रथम पुरस्कार: 10,000/- रुपये

द्वितीय पुरस्कार: 7,000/- रुपये

तृतीय पुरस्कार: 5,000/- रुपये

जिस प्रतियोगी को इस प्रतियोगिता में एक बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह प्रतियोगी दుष्कार उसी श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के किसी पुरस्कार का हकदार नहीं होगा। निबंधों के संयुक्त लेखन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा संयुक्त रूप से लेखकों द्वारा लिखित किसी भी निबंध पर प्रतियोगिता के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतियोगिता के विषय हैं—

- तटवर्ती भारत का आर्थिक तथा सामरिक महत्व
- वर्तमान पर्यावरण में सिविल समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व
- जी0एस०टी० तथा इसके निहितार्थ

निबंध लेखकों से अपनी प्रविचित्रियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना अपेक्षित है:

विषय (1) : तटवर्ती भारत का आर्थिक तथा सामरिक महत्व

निबंध में मुख्यतः निम्न विषय बिंदु शामिल किए जाने चाहिए:

1. समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों के उभरते क्षेत्र

इस भाग में विविध आजीविका अवसरों तथा तकनीकी प्रेरित उभरते क्षेत्रों के ज्ञात के रूप में तटीय रेखाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, समुद्री पर्यटन, जीवप्रौद्योगिकी तथा समुद्र से निकाली गई औषधियाँ—ये उभरते हुए क्षेत्र—आर्थिक विकास, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? इन गतिविधियों से लाभान्वित होने के लिए तकनीकी तथा सहायक विधायी ढाँचे की दया भूमिका है? भारत के लिए इसके क्या अवसर तथा चुनौतियाँ हैं?

## 2. ब्ल्यू अर्थव्यवस्था

इस भाग में 'ब्ल्यू अर्थव्यवस्था' के सतत मॉडल हेतु तटीय रेखाओं के महत्व का विश्लेषण किया जाना चाहिए, जो देश तथा क्षेत्र के समग्र विकास में संभवतः योगदान दे सके। 'ब्ल्यू अर्थव्यवस्था' क्या है? इसके आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? समस्त क्षेत्रों के सतत तथा समावेशी विकास में इसका क्या महत्व है? अन्य देशों के क्या अनुभव हैं?

## 3. समुद्री सुरक्षा

बदलते हुए भू-राजनैतिक तथा सामरिक पर्यावरण का समुद्री सुरक्षा पर क्या प्रभाव है? तटीय रेखाओं के साथ-साथ बाह्य खतरों की बढ़ती हुई जटिलता तथा अनिश्चितता देश की सुरक्षा की चुनौती को कैसे प्रभावित कर सकती है? आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण कीजिए कि हाल की समुद्री सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा रणनीतियाँ, सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान कहाँ तक करती हैं?

## 4. समुद्री व्यापार

निबंध में देश के अंतर्राष्ट्रीय-व्यापार ने, समुद्री व्यापार के महत्व पर चर्चा की जानी चाहिए। हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति ने, किस प्रकार महत्वपूर्ण व्यापार भार्गो तक पहुँच सुगम करने में सहायता की है? समुद्री व्यापार का बढ़ता आकार, इसका संघटन तथा आर्थिक महत्व। समुद्री परिवहन की अवसंरचना में क्या कमी है तथा इस क्षेत्र में सतत विकास हेतु क्या निवेश अपेक्षित है? जहाज निर्माण उद्योग का सामरिक महत्व क्या है, इसके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं तथ हाल में किए गए सहायक उपाय इस उद्योग के पुनरुत्थान में कैसे सहायक होंगे? क्या भारत हिंद महासागर में यानांतरण यातायात में अग्रणी भूमिका निभा सकता है? इसके सम्बन्ध आने वाली भौगोलिक तथा संरचनात्मक चुनौतियों कौन सी हैं? क्या इस दिशा में उठाए गए नीतिगत कदम पर्याप्त हैं?

## 5. तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास

इस भाग में, भौगोलिक तथा प्राकृतिक सुविधाओं के प्रयोग द्वारा, बंदरगाहों पर औद्योगिक विकास के महत्व का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस दिशा में हाल ही में कौन से नीति संबंधी कदम उठाए गए हैं? तटीय आर्थिक ज़ोन (सीईज़ोड) क्या है? अर्थव्यवस्था इनसे कैसे लाभान्वित हो सकती है?

## 6. खनन तथा ऊर्जा सुरक्षा

इस भाग में, समुद्र से खनन तथा ऊर्जा की छिपी हुई संभावनाओं का प्रयोग करने के लिए, भारत द्वारा हाल ही में किए गए उद्यमों को प्रकाशित किया जाना चाहिए। गहन समुद्र में बहुधात्विक खनन तथा दुर्लभ पृथकी, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं? भारत के लिए गहन समुद्री खनन का क्या महत्व है? समुद्री ज्वार, लहरों तथा उष्मा से

जनित नवीकरणीय ऊर्जा का, ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में क्या महत्व है? समुद्र से संभावित खनन तथा ऊर्जा को काम में लाने के लिए भारत तकनीकी रूप से कितना तैयार है?

३

### विषय (2) : वर्तमान पर्यावरण में सिविल समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

विशेष विषय पर केंद्रित ध्यान, विचार-विमर्श अथवा अध्ययन की आवश्यकता से समितियों का विचार प्रदूषित हुआ। ये समितियाँ ऐसे लोगों से बनी हैं जो विषयस्तु के विशेषज्ञ हैं अथवा जिन्हें आवश्यकता होने पर विषयवस्तु विशेषज्ञों को बुलाने का प्राधिकार है। पूरे विश्व की सरकारें समिति पद्धति पर निर्भर करती हैं। बढ़ती हुई जटिलाओं के परिदृश्य में यह पद्धति तेजी से पसंदीदा नार्ग बनती जा रही है। तथापि शासन के बदलते पैराडिग्म, जहाँ प्रभावी शासन तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नागरिक सहभागिता आवश्यक समझी जाती है, ने ऐसी समितियों पर ध्यान बढ़ाया है जहाँ नागरिक भी विशिष्ट मुददों को देखने के लिए निकायों के सदस्य हैं।

विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में, निक्षत्स रसार की संस्थाओं हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका परिकल्पित की गई है। ऐसे निकाय हैं जिनके सदस्य भारत नागरिक हैं, किंतु वे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में प्रभावी साधित हुए हैं। यद्यपि विकासशील देशों के मामले में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र ने ऐसे निकायों को प्रभावी बनाने में अक्सर सहायक भूमिका निभाई है विकासित समाजों में, नागरिक राष्ट्र से इस प्रकार की सहायता मौगने में समर्थ हुए हैं। तथापि, इस प्रकार के उदाहरण अकेले नहीं हैं तथा दोनों प्रकार के समाजों में दोनों प्रकार के उदाहरण निलंते हैं।

निंबंध लेखक उन तत्वों का भी पता लगाएँ, जिनमें शासन प्रक्रिया में अधिक नागरिक संलग्नता की मौँग को प्रत्याहन दिया गया है और इस संदर्भ में नागरिकों के लिए क्या उत्तरदायित्व कल्पित तथा सूचित किए गए हैं। इन समितियों को प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा की जानी चाहिए जिससे इन समितियों के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त परिस्थितियों का पता लगाया जाए जिनमें ये समितियाँ अपनी भूमिका का निर्वहन करने में समर्थ हों। लेखक, नागरिकों तथा नागरिक समूहों और राज्य अभिकरणों के बीच अधिकार-क्षेत्र प्रतिवाद का तथा राज्य किस सीमा तक इन मौँगों को मानने के लिए तेयार हैं, का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं की वैधता का भी पता लगाया जाना चाहिए।

प्रतियोगियों को रक्षा विषयों से संबंधित चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है व्योकि निंबंध का विषय सिविल समितियों तक सीमित है।

### विषय (3) : जी०एस०टी० तथा इसके निहितार्थ

निंबंध में मुख्यतः जी०एस०टी० तथा शामिल किए जाने चाहिए:

#### 1. भारत में जी०एस०टी० क्या?

इस भाग में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि भारत में जी०एस०टी० की आवश्यकता क्यों है? यह आर्थिक एजेंटों से व्यापक प्रभावों को कैसे हटाता है, यह कर तथा कर दरों की प्रचलित बहुलता, दौहरे करण्डान, रियायत तथा छूट और व्यापार प्रशासन की जटिलताओं को कैसे सुलझाता है? जी०एस०टी० हमारी व्यवस्था में कर आधार तथा पारदर्शिता में सुधार कैसे करेगा? कौन से क्षेत्र जी०एस०टी० से बाहर हैं तथा क्यों? क्या यह पूरे राष्ट्र में एक समान कर दरों के उद्देश्य को पूरा करेगा?

#### 2. जी०एस०टी० के संभावित बहुत आधिक प्रभाव

इस भाग में शामिल किया जाना चाहिए कि जी०एस०टी० के संभावित बहुत आर्थिक प्रभाव क्या है जैसे-अम कीमतों/मुद्रास्फीति, निवेश, घरेलू निर्माण तथा व्यापार, अर्थव्यवस्था की विधि संगतता, कर राजस्व, वित्तीय घाटे, और कुशल कर पद्धति हेतु शासन तथा संस्थान सुधारों-पर इसका प्रभाव।

### 3. भारत में जी०एस०टी० की चुनौतियाँ

जी०एस०टी० के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ कोन सी हैं, विशेषता: कर प्राधिकरणों की तत्परता, जी०एस०टी० के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले व्यापारों तथा वर्तमानों का वर्णकरण आदि— जी०एस०टी० के कार्याचयन के दौरान उमरने वाली प्रशासनिक तथा तकनीकी कठिनाइयाँ।

### 4. केन्द्र-राज्य संबंधों पर जी०एस०टी० का प्रभाव

जी०एस०टी० के कार्याचयन के लिए संवेदनानिक संशोधन की व्या आवश्यकता थी? क्या यह केन्द्र-राज्य संबंधों की गतिशीलता को बदलेगा? क्या जी०एस०टी० राजकोषिय संधावद तथा विकेन्द्रीकरण के लिए अच्छा है?

5. क्या आप अलग-अलग वर्ग की वर्तमानों हेतु बहुविध करों के वर्तमान जी०एस०टी०-मॉडल-का—  
— अनुमोदन करते हैं? अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस संबंध में क्या कहता है?

### निबंध के सामान्य दिशानिर्देश

निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। निबंध लगभग 5000 शब्दों का होना चाहिए। प्रतियोगी को निबंध में प्रयुक्त शब्दों की कुल संख्या बतानी होगी अन्यथा निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5500 से अधिक शब्दों वाला निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। निबंध पृष्ठ के केवल एक ही तरफ दोहरे स्थान के साथ टाइप किया हुआ होना चाहिए। जिन प्रविष्टियों में इस निर्धारित मानदंड का अनुपालन नहीं किया जायेगा, उन्हें अस्वीकृत माना जाएगा।

कलिप्त नाम के साथ निबंध की तीन प्रतियाँ जमा की जानी चाहिए। प्रतियोगी का पूरा असली नाम तथा पता एक अलग कागज पर दिया जाना चाहिए और यह कागज एक सीलबंद लिफाके में रखा होना चाहिए। जिस पर ऊपर कलिप्त नाम के साथ ही निम्न शब्द अंकित होने चाहिए।

### वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता-2017

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

नई दिल्ली।

सभी निबंध पंजीकृत-डाक ब्राषा निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जाने चाहिए। ये निबंध 31 अगस्त, 2017 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। लिफाके के ऊपर “वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता-2017” लिखा होना चाहिए। निर्धारित लिखे के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्णयक गण इन निबंधों पर अपना निर्णय देंगे और इनका निर्णय अंतिम मात्रा जाएगा। यदि प्राप्त निवंधों में से कोई भी निबंध आवश्यक मानक स्तर तक नहीं पहुंचता है तो संस्थान को यह अधिकार है कि वह किसी को भी पुरस्कार न दे। पुरस्कृत निबंध भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा लेखक की संयुक्त बोधिक संपत्ति होंगे।

कृपया ध्यान दें: अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के इच्छुक प्रतियोगी निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को लिख सकते हैं।